

Municipal Elections Branch
Diary No.....742
Date.....27.4.2016
HARYANA GOVERNMENT

109

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated:- 25th April, 2016

No. 4/2/2014-R-II/1973:- The following draft of the rules further to amend the Haryana Municipal Elections Rules, 1978, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of sub-section (1), sub-sections (2) and (4) of section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (5) of section 257 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of Seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person in respect of the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Municipal Elections Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), in rule 23A, after the word, figure, signed letter "form 1 C" "Form 1-D" shall be inserted.
3. In the said rules after "Form -1C", the following Form shall be added, namely :-

"FORM 1D"

[see rule 23A]

Affidavit to be filed by the candidate alongwith nomination paper and Form 1C before the Returning Officer for election _____ (Name of Municipal Council/ Committee)

Ward No.

I.....**son/daughter/wife.....
aged.....years, resident of(Mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

(1) I am a candidate setup by.....(**name of the Political party) /*am contesting as an Independent candidate.

(**Strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in.....(Name of the Municipal Council / Committee) at Serial No..... In Part No.

(3) My contact/ telephone number(s) is/are..... and my e-mail id (if any) is.....

(4) I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under rule 21 of the Haryana Municipal Elections Rules, 1978:-

(i) I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.

(ii) I have not failed to pay any arrears of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No dues certificates(s) from the said institutions(s) is/are enclosed.

(iii) I have not failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.

(iv) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board.

Or

I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled caste).

Or

I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled caste).

A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

(v) I have a functional toilet at the place of my residence.

(11)

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified atthis theday of

DEPONENT


- Note :1.** Affidavit/Declaration should be filed latest by 10:00 A.M. on the date of scrutiny of nominations.
Note :2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.
Note :3. All columns should be filled up and no columns to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
Note :4. Affidavit/Declaration should be either typed or written legibly and neatly".

Anil Kumar,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst No. 4/2/2014-R-II/1973

Dated : 25-04-2016

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that the above notification in English & Hindi may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies to the said notification to this office for record.


Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst No. 4/2/2014-R-II/1973

Dated : 25-04-2016

A copy of the above mentioned notification is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. State Election Commission, Haryana, Panchkula.
2. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
3. Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No.11-14, Sector-4, Panchkula.
4. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
5. All the Executive Officers/Secretaries, Municipal Councils/Committees in the State of Haryana.


Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

C.C.

Nodal Officer (Web Portal)

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक:- 25 अप्रैल, 2016

संख्या. 4/2/2014-R-II/1973.— हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उपधारा (2) तथा (4) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुये, इनमें का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) द्वारा यथापेक्षित ऐसे व्यवितयों की जानकारी के लिये, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा ज्ञोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, घण्डीगढ़ द्वारा प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विदार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 23क में, "प्रारूप 1-ग" शब्द, अंक, चिह्न और अक्षर के बाद "प्रारूप 1-घ" शब्द, अंक, चिह्न और अक्षर रखा जाएगा।
3. उक्त नियमों में, "प्रारूप 1-ग" के बाद, निम्नलिखित प्रारूप जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"प्रारूप 1-घ"

(देखिए नियम 23 क)

वार्ड संख्या (नगर परिषद्/नगर पालिका का नाम) के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के सामने नागोंकन पत्र तथा प्रारूप 1-ग सहित अभ्यार्थी द्वारा प्रत्युत किया जाने वाला शपथ पत्र।

मैंपुनः/पुत्री/पत्नी..... आयुवृष्टि (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यार्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ—

- (1) मैं (**)राजनैतिक दल का नामद्वारा खड़ा किया गया अभ्यार्थी हूँ/एक स्थानीय अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।
(**)जो लागू न हो उसे काट दे।

- (2) मेरा नाम (नगर परिषद् / नगर पालिका का नाम) में भाग संख्या
..... में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा / मेरे सम्पर्क टेलीफोन नंबर है / हैं और मेरा ई-मेल आई डी
(यदि कोई हो) है।
- (4) मैंने हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978, के नियम 21 के अधीन यथा अधिकथित
के अधीन, नियम में से कोई अयोग्यता प्राप्त नहीं की है।-
- (i) मैं किसी अपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम न हो से दण्डनीय
किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है या मेरे विरुद्ध
आरोप नहीं लगाये गये हैं।
- (ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा
जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार
के बङ्कायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। उक्त संस्था (संस्थाओं) से
आदेय प्रमाण-पत्र संलग्न है/ हैं।
- (iii) मैं विजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। सन्वन्धित
विद्युत उपयोग से आदेय प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (iv) मैंने किसी भान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मट्रिक परीक्षा या इसके समवक्ष, पुरीभा
पास की है।

या

मैंने मिडल कक्षा पास की है

(किसी अहिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सन्वन्धित उम्मीदवार की दशा
में)

या

मैंने पांचवीं कक्षा पास की है

(अनुसूचित जाति से सन्वन्धित अहिला उम्मीदवार की दशा में)

सम्बद्ध संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(v) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर लाखित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यठ सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस
शपथ-पत्र की विषय-बहनु ऐसी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका
कोई भार निष्या नहीं है और इसमें से कोई तात्प्रक्ष तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज के दिन को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि को 10:00 बजे तक फाईल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3 सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है तो "शून्य" या "लागू नहीं होता" जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

अनिल बुनार
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।